## गुमशुदा की तलाश

कॉपीराइट

## The Federal Bank Ltd.

Shalimar Bagh Bc., BN-57,
Ground Floor, East Shalimar Bagh -110088

**FEDERAL BANK**
YOUR PERFECT BANKING PARTNER
REGD. OFFICE: ALUVA, KERALA

**NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD**

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged with the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularized so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch once after 15/12/2022 as shown below:

| BRANCH/VENUE: | NAME | ACCOUNT NUMBER |
|---|---|---|
| The Federal Bank Ltd. | KAMAL KUMAR | 16905100014895 |
| Shalimar Bagh Bc., BN-57, | HEMANT KUMAR SHARMA | 16905100014929 |
| Ground Floor, | MANDEEP SINGH | 16905000000681 |
| East Shalimar Bagh -110088 | RAVI. | 16905100014960 |
| Email: ndlg@federalbank.co.in | VIRENDER APORA | 16905100012345 |
| | DEEPAK SINGH | 16905000000798 |
| | PINTU | 16905100015173 |

Place: New Delhi
Date: 21.11.2022

Branch Manager
The Federal Bank Ltd.

## NOTICE

IN THE COURT OF LA. SHARMA
Practice Madrampur

Ref. Suit Suit Case No. 345/2022

Shri Shekhar Pillai ..... Plaintiff

Versus

Smt. Rukmani Devi ..... Defendant

Take notice that the suit for declaration of ownership and permanent injunction filed by the plaintiff Shri Shekhar Pillai against the defendant Smt. Rukmani Devi in the court of Civil Judge, Madrampur, bearing Suit No. 345/2022, which is fixed for hearing on 28.11.2022. The defendant is hereby directed to appear before the court on the said date either in person or through a duly authorized advocate, failing which the suit shall be heard and decided in his absence.

Given under my hand and seal of the court this 15th day of November, 2022.

Sd/-
(L. A. Sharma)
Civil Judge
Madrampur District Judge

## आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

सीआईएन: L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 4वी मंजिल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई – 600031

दूरभाष: +91 444564 4000, फैक्स: +91 4445644022

IDFC FIRST Bank

### परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

कब्जा –सूचना

(अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.08.2022 को एक मांग नोटिस जारी की थी जिसमें उधारकर्ता, सह-उधारकर्ताओं और गारंटरों से नोटिस में उल्लिखित राशि 1. रुपये 6,47,92,/– (छह करोड़ सैंतालीस लाख बानवे हजार रुपये मात्र) तथा उस पर ब्याज और लागत की राशि का भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 नवम्बर, 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान की जाती है कि वे उक्त संपत्ति का सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन न करें और उक्त संपत्ति का सौदा या लेन-देन 1. रुपये 6,47,92,047.92/– (छह करोड़ सैंतालीस लाख बानवे हजार रुपये मात्र) और उस पर ब्याज का भुगतान अनुबंध होगा।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के प्रावधानों की तरफ उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

संपत्ति की अनुसूची: गगनेचर पार्क, गौव–लोनी, तहसील और जिला: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित भूमि मेंसर्ड–139, खिलरी गांव 116.75 वर्ग गज यानी 97.61 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 3525, 3526, 3527, 3528, 3529/1, 3529/2, 3529/3, 3531, 1342/3, 123/1, 123/2,124, 126 और 140/6 में से समाहित के सभी टुकड़े और अंश, और इस प्रकार सीमाबद्ध : पूर्व: 40 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: सर्विस लेन, उत्तर: प्लॉट का हिस्सा, दक्षिण: प्लॉट नंबर ई– 134,

दिनांक:19/11/2022
स्थान: गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता संख्या 15125861 (सत्यकालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

## आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्वतनी कैपिटल फर्स्ट और फ्रांचाइज़ी फिनटेक और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

सीआईएन: L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स 4वी मंजिल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई – 600031

दूरभाष: +91 444564 4000 फैक्स: +91 4445644022

IDFC FIRST Bank

### परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

कब्जा –सूचना

(अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतनी कैपिटल फर्स्ट लिमि.लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 19.04.2021 को एक मांग नोटिस जारी कर ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्ताओं और गारंटरों से नोटिस में उल्लिखित राशि 1. रु.31,67,881.23/– (रुपये इकतीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ इक्यासी और तेईस पैसे मात्र) की राशि का भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13 के उप धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 नवम्बर, 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा सावधानी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन न करें और उक्त संपत्ति का सौदा या लेन–देन 1. रुपये 31,67,881.23/– (रुपये इकतीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ इक्यासी और तेईस पैसे मात्र) की राशि और उस पर ब्याज का भुगतान अनुबंध होगा।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के प्रावधानों की तरफ उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

आवासीय फ्लैटिनो सुदेह जिगर इडस्ट्रा सॉव फोनी, प्रस्ताव लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय एकआइट फ्लैट नं. टीएफ–1, शेत के आकेआर के साथ तीसरा मंजिल, (समस्त छतरी रहित) कुल कवर क्षेत्र 33.44 वर्ग मीटर, निर्मित क्षेत्र नं. 9, खसरा नंबर 1290 में से जमीन के सभी टुकड़े और अंश और निम्नानुसार घिरा हुआ है पूर्व सब संपत्ति, पश्चिम: अन्य संपत्ति, उत्तर: 25 फीट चौड़ी सड़क,

दिनांक: 18/11/2022
स्थान: गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता संख्या 14356426 (पूर्वतनी कैपिटल फर्स्ट लोन कंपनी लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

## Oriental Union Together for the better

**पंजाब कार्यालय सत्र केन्द्र, 1–2, रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड, बागपत, Ph. No. 0562-2525895 Fax: 0562-2850131**
**E-Mail: cs8182@pnb.co.in**

**सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा–13(2) के अन्तर्गत नोटिस**

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सफ़ेद कार्यालय, आगरा ने उक्त अधिनियम की धारा–13(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित ऋणदारियों /गारण्टरों को माँग नोटिस भेजकर दी, / चौक द्वारा इस नोटिस किये जाने के 15 दिन के भीतर उक्त माँग नोटिस में वर्णित राशि का भुगतान करने को कहा गया है। इस माँग नोटिस की प्रति कर्जदार सम्पत्ति पर सुलभ द्वार पर बैंक द्वारा चस्पा कर दी गई है। अपातकालवर्ती द्वारा निम्नलिखित ऋणीयों/गारण्टरों से निम्नलिखित देनदारी, सीबिलाल्लाह ब्याज/खर्चों इत्यादि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अदा करने की नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। यदि वे उक्त देय राशियों इस माँग नोटिस के अनुसार भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक उक्त एक्ट की धारा–13 उपधारा (4) के अन्तर्गत निहित समस्त या किसी भी अधिकार विमाला विवरण उक्त धारा में दिया गया है, का प्रयोग करेगा। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

उक्त अधिनियम की धारा–13(13) में निहित प्रावधानों के अनुसार बिना बैंक की लिखित अनुमति के ऋणी / गारंटर / बंधककर्ता प्रतिभूति आस्तियों जिनका वर्णन नीचे सूची में दिया गया है, की बिक्री लीज़ एवं अन्य किसी माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।

| ऋणियों / गारण्टर्स / शाखा का नाम व पता | बंधक सम्पत्ति का विवरण | पत्र तारीख दिनांक | नोटिस की रकम |
|---|---|---|---|
| **शाखा– अलीगढ़ रोड, हाथरस** | | | |
| मै0 फिजा बुक वर्क्स, रिजवान पुत्र श्री यासरुद्दीन (प्रोपराइटर्स) एवं श्री यासरुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल अज़ीज़, जमला टूंडला, फ़ायाबी गली के निकट, मुंशुआड़ी, हाथरस 204101– 204101 | आवासीय प्लॉट नं. 16बी का सांपत्तिक बंधक, खसरा नं. 37, स्थित ग्राम पूरी (अंदर पूरी) हाथरस, उ0प्र0, परिधा:– 83.61 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती प्रेमवती पुत्र श्री रामकरण के नाम। **चौहद्दी:**– पूर्व– प्लॉट नं. 17, 30 फीट, पश्चिम– रोड 9 मी0, उत्तर:– प्लॉट नं. 6, 30 फीट, दक्षिण– प्लॉट नं. 16ए, 30 फीट। | 31.08.2022 | रु0 5,37,996.16 + ब्याज एवं अन्य खर्च |
| श्री अलनम्स सैफी पुत्र श्री रमज़ानी सैफी (ऋणी), श्रीमती सलमा पत्नी श्री रमज़ानी सैफी, (ऋणी/बंधककर्ता), दोनों का पता– 2260, फैजश नगर, हाथरस 204101– 204101, श्री लखनवाब पुत्र श्री फीद खान (गारण्टर), पता– फैजाश नगर, हाथरस 204101– 204101 | आवासीय प्लॉट का सांपत्तिक बंधक, खसरा नं. 2260 का सांपत्तिक बंधक, स्थित रमनदुर रोड, फैजाश नगर, हाथरस उ0प्र0, परिधा:– 80.9 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती सलमा बेगम पत्नी श्री रमज़ानी सैफी के नाम। **चौहद्दी:**– पूर्व– साधारण रास्ता, पश्चिम– विज़ेता का मकान, उत्तर– सरवा गली, दक्षिण– बंगाली का मकान। | 01.09.2022 | रु0 2,22,524.68 + ब्याज एवं अन्य खर्च |
| श्री सदन कुमार पुत्र श्री कन्नी चरन गौतम (ऋणी), श्रीमती सज़ीवाती गौतम पत्नी श्री सदन कुमार (ऋणी), दोनों का पता– मुरसान गेट, प्रकाश टॉकीज के निकट, बालाघाट, हाथरस 204101– 204101 | आवासीय प्लॉट का सांपत्तिक बंधक, खसरा नं. 126, स्थित बाला पट्टी शेख उलफ़र (गौता विडर कॉलोनी के पास) हाथरस, उ0प्र0, परिधा:– 83.61 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती सज़ीवाती गौतम पत्नी श्री सदन कुमार पुत्र श्री कालो चरण गौतम के नाम। **चौहद्दी:**–पूर्व– सरला 12 फीट चौड़ा, पश्चिम– श्री कालो चरण की भूमि, उत्तर– श्री बानी सिंह का मकान, दक्षिण– श्री नाती चरण की मकान। | 31.08.2022 | रु0 4,69,388.91 + ब्याज एवं अन्य खर्च |
| श्री ब्रजेश शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा(ऋणी), श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री शंकर लाल शर्मा (ऋणी/बंधककर्ता) दोनों का पता– नगला चौबे, मुडरा रोड, हाथरस 204101, श्री सतीश शर्मा पुत्र श्री भगवान शंकर, (गारण्टर), पता–नगला चौबे, हाथरस देहात, हाथरस। | आवासीय प्लॉट का सांपत्तिक बंधक, खसरा नं. 237, स्थित ग्राम हाथरस देहात पुर्वी के बाहर हाथरस, उ0प्र0, परिधा:– 73.57 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री शंकर लाल शर्मा के नाम। **चौहद्दी:**– पूर्व– अन्य व्यक्ति का प्लॉट, पश्चिम– रास्ता 8 फीट चौड़ा, उत्तर– मया प्रसाद शर्मा एवं श्रीमती रामवती का मकान, दक्षिण– राकेश शर्मा का मकान। | 31.08.2022 | रु0 3,37,604.91 + ब्याज एवं अन्य खर्च |
| श्रीमती अंजना राणा पत्नी श्री राजीव राणा, श्री राजीव राणा पुत्र श्री यादराम, दोनों का पता– मकान नं. 2, सतुंडरा पुरम, लाज़रस रोड, हाथरस, उ0प्र0– 204101 | आवासीय प्लॉट नं. 14 का सांपत्तिक बंधक, खसरा नं. 109/1 प्रामनिया विहारस्त्र को पास, नगला अलगणी, विनापुर हाथरस, उ0प्र0, परिधा:– 83.61 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती संजना राणा पत्नी श्री राजीव राणा के नाम। **चौहद्दी:**– पूर्व– श्रीमती मुन्नी देवी का प्लॉट, पश्चिम– रास्ता 6.00 मीटर चौड़ा, उत्तर– श्रीमती उषा गुप्ता का प्लॉट, दक्षिण– रास्ता 6.00 मीटर चौड़ा। | 30.08.2022 | रु0 5,86,558.25 + ब्याज एवं अन्य खर्च |

दिनांक: 22.11.2022 स्थान: आगरा प्राधिकृत अधिकारी

## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिजनौर–मेरठ जुडशी रोड, निकट एसआरएम मॉल, बिजनौर–246701**

[नियम–8 (1)]

### कब्जा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,(द्वितीय) 2002 (2002 के अधि. 3) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जुडशी रोड, निकट एसआरएम मॉल, बिजनौर–246701 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं से मांग सूचना आंतरिम पत्राचार: 665–50–2022–23 दिनांक 25.07.2022 जारी कर, मैं, के.एम. पैठानिया, निवास अधिकार अधिकार पोस्ट, ऑफिस रोड, बिजनौर–246701, 2. श्री सुखवा सिंह, पुत्र श्री हरनरायण, निवासी: पीडब्लूडी सर्वेंटर्स के सामने, सिविल लाइन्स, सर्वेक्ट अधिकारी, प्रादेशिक सेवी गली, मिरकोट–246701, मैं, के एम. पैठानिके के पीपीहेड़ा सरा आयत्र प्रहरा के प्रतिभूत्र, 3. श्री मुरारबर प्रसीनी, पुत्र डी.के. प्रसीनी ( भागता ब्लाक के गार्डन), निवासी: गीतांजली, सिविल लाइन, बिजनौर, जिला बिजनौर, उ.प्र. 246701, 4. श्री विमल गुप्ता, पुत्र महेश चन्द्र गुप्ता (खसरा ब्लाक में गार्डन: निवासी: एच 74 बी, –14, नई पानी, आई.टी.आई कॉलेज के सामने, बिजनौर, उ.प्र.–246701 (31.05.2022 को एतद्वारा के रूप में सर्वाहित), को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 21,70,972.04/– सत्रह लाख – अन्य सत्रहित ब्याज, लागत, शुल्क, खर्चा की वसूली के लिए बैंक को भार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

आवासीय प्लॉट नं. 16बी का सांपत्तिक बंधक, खसरा नं. 37, स्थित ग्राम पूरी (अंदर पूरी) हाथरस, उ0प्र0, परिधा:– 83.61 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती प्रेमवती पुत्र श्री रामकरण के नाम। **चौहद्दी:**– पूर्व– प्लॉट नं. 17, 30 फीट, पश्चिम– रोड 9 मी0, उत्तर:– प्लॉट नं. 6, 30 फीट, दक्षिण– प्लॉट नं. 16ए, 30 फीट।

दिनांक: 21.11.2022 प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

## बैंक ऑफ बड़ौदा

Bank of Baroda

स्थावर संपत्तियों हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

(नियम 8(1) के परंतुक के अंतर्गत चल (स्थावर) संपत्ति के लिए)

**कब्जा सूचना**

जैसा कि, निम्नहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के प्रवर्तन बैंक ऑफ बड़ौदा, स्थावर परिनिधान शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के प्रदत्त प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान में जीवन राशि 29.07.2022 को रु. 2,78,93,404.49/–, दि. की प्रति प्रतिभूति हित सहित राशि का भुगतान करने को कहा गया था उक्त पूर्ण नोटिस प्राप्त कर, का कार्य 27.07.2022 के भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर ब्याज, लागत, प्रभार आदि पूर्ण भुगतान होने का दिनांक दिया था।

कर्जदार एवं सह–कर्जदार/जमानतियों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतियों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रति भूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यहां नीचे वर्णित प्रतिभूति का कब्जा कर लिया है।

| ऋण खाता संख्या | कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतियों के नाम | बंधक सम्पत्ति का विवरण | मांग सूचना | | कब्जे करने की तिथि तथा प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | तिथि | बकाया राशि (रु.) | |
| 13953673 | 1. श्री राजेन्द्र कुमार 2. श्रीमती माकी देवी | फ्लैट नं. सुमधुर–28, द्वितीय तल, ब्लॉक ए, 2. सर्वमिति नं. 3 का समापन भाग, प्लाट 1495 पक्षी फॉर्म, मौजपुर–33, कुंडाली, सोनीपत, हरियाणा में स्थित। | 20.04.2021 | रु. 27,56,238.24/– | 19–11–2022 सांकेतिक कब्जा |
| 10259474 | 1. श्री भारी प्रसाद सुमनालय 2. श्रीमती हेतु सुमनालय | सम्पत्ति मुलित नं. डी–1(0401) का सामरा भाग, मुल्य परिसा माप 147.21 वर्ग मीटर, वर्षी आवासकालीन ने डी–1 फेज–पीपीई सेक्टर पीपी, सेक्टर–84, गौतम बुद्ध नगर, हरियाणा–201305 | 12.04.2021 | रु. 31,26,161.56/– | 19–11–2022 सांकेतिक कब्जा |

दिनांक: 19.11.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : सोनीपत (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

## पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Punjab & Sind Bank

शाखा कार्यालय : रेलवे रोड, गाजियाबाद 343, रेलवे रोड, गाजियाबाद, 201401

**परिशिष्ट IV [ नियम 8(1) ] देखें ] अचिपत्र सूचना**

प्रतिभूत आस्तियों के प्रवर्तन हेतु कब्जा सूचना (स्थावर संपत्ति हेतु)

| ऋणियों / गारण्टर्स / बंधककर्ता के नाम | बंधक सम्पत्ति का विवरण | मांग सूचना की तिथि | बकाया की राशि |
|---|---|---|---|
| | | | |

दिनांक : 22.11.2022 स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी (पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि.)

## प्रपत्र सं आईएनसी–25ए

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, इसके क्षेत्र के समक्ष

आवेदनों प्रतिदिन, इसके क्षेत्र के समक्ष आवेदनों प्रतिदिन, 2013 की धारा 14 का उप–धारा (1) के दिनांक उपबंध तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

और

केनोवा प्रौद्योगिक लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, 607, गंगम हाउस, 3 डीसमस्ति मार्ग, दिल्ली–110001, धारा 12 के मामले में

आवेदक

उपरोक्त नाम वाले कंपनी ने केंद्र सरकार के समक्ष दिनांक 14 को एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई है।

किसी भी व्यक्ति को जिसका हित इस आवेदन से प्रभावित होता है, को आवेदन के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने के लिए 21 दिनों के भीतर या उसके पूर्व केंद्र सरकार के समक्ष अपने हित, आपत्ति के कारण और आवेदन के विरुद्ध अपना शपथ पत्र की एक प्रति आवेदक को भेजने के लिए सूचना देनी होगी।

आवेदक का पता निम्नानुसार है:

केनोवा प्रौद्योगिक लिमिटेड,
[जिसका पंजीकृत कार्यालय इस प्रकार स्थित है]

दिनांक: 15.11.2022
स्थान: दिल्ली

सुनील कुमार अग्रवाल
निदेशक
DIN: 00014310
पता: C-31, फेज पार्क, दिल्ली-110092